भारतीय प्रोधोगिकी संस्थान दिल्ली INDIAN INSTITUTE OF TECHNOLOGY हौज़ ख़ास, दिल्ली – ११००१६ HAUZ KHAS, NEW DELHI-110016.

एलटीसी अग्रिम के लिए आवेदन/APPLICATION FOR LTC ADVANCE

1. आधिकारिक नाम (ब्लॉक अक्षरों में)/ Name of Official (in Block let	tters)
2. (a) पदनाम और कर्मचारी कोड सं/ Designation and Employee Co	ode No
(b) अस्थायी या स्थायी/ Temporary or Permanent	
(यदि स्थायी नहीं है, तो स्थायी अधिकारी से निश्चित बॉन्ड आवेदर	
(If not permanent, Surety Bond from a permanent official to be en	nclosed with the application)
3. विभाग/केंद्र/अनुभाग जो संलग्न है/ Dept./Centre/Section to whic	:h attached
4. बेसिक पे + एनपीए + एसआई/ Basic Pay + NPA + SI	
5. आईआईटी में नियुक्ति की तारीख/ Date of appointment in the I	
6. सर्विस बुक में घोषित अनुसार होम टाउन का स्थान/।	
7. पिछले ब्लॉक वर्षों मे प्राप्त हुआ LTC का विवरण / Particulars of	
ब्लॉक वर्ष / Block Year	
होम टाउन / Home Town	
भारत में कहीं भी / Anywhere in India	
8. ब्लॉक वर्ष जिसके लिए अब लाभ उठाने का प्रस्ताव है / Block y	ear for which now proposed to avail
9. क्या सीएल या ईएल ली है (अवकाश की प्रकृति और उल्लिखि	ोत अवधि) / Whether avails CL or EL (Nature of Leave &
period to be mentioned)	
10. क्या पहले से लिया गया LTC अग्रिम मामले के निपटान के पूर्ण	या लंबित निपटान तिथि में तय किया गया है। / Whether
LTC advance already taken Has been settled in full or pendin	g Settlement date of settlement of the Previous case.
11. यात्रा का स्थान (सबसे दूर का बिंदु) / Place of visit (farthest po	
12. आगे की यात्रा की प्रस्तावित तिथि / Proposed Date of onward	journey
13. वापसी की संभावित तिथि / Probable Date of return journey	
14. परिवार के सदस्यों को विशेष सुविधा: / Particulars of family m	embers availing the facility:-
क्रम S No. नाम / Name संबंध / Relatio	nship आयु / Age निर्भर है?/ Whether Dependent
1.	-
2. 3.	
4.	
5.	
15. रेलवे यात्रा में प्रस्तावित आवास की श्रेणी / Class of accom	modation proposed to be availed in the Railway journey
16. अग्रिम की राशि की आवश्यकता है / Amount of advance require	
	हस्ताक्षर Signature
दिनांक Dated:	पदनाम Designation
	कर्म. कोड E. Code No.
स्थापना अनुभाग के रिमार्क्स / Remarks of Establishment Section	}, ,,,,, ,,,,
श्री / सुश्री द्वारा ऊपर दिए गए विवरण सत्यापित अ	
The Particulars are given above by Mr. / Ms	have been verified and found correct.

स्था.- ।, ॥ / E-।/॥

सहायक रजिस्ट्रार (लेखा)/ Asstt. Registrar (Accounts)

खाता अनुभाग ACCOUNTS SECTION

एलटीसी अग्रिम के अमाउंट को मापने के लिए जाँच / CHECKLIST FOR DETERMINING AMOUNT OF LTC ADVANCE:			
1. हकदार वर्ग या उस वर्ग के लिए रेल किराया जिसके लिए आधिकारिक यात्रा करने का प्रस्ताव है, जो भी for to and fro by the entitled class or the class by which the official proposes to travel, whichever is less			कम / Rail fare रु Rs
2. उन अधिकृत व्यक्तियों की संख्या जिनके लिए एडवांस का दावा किया गया है / No. of entitled persons fo is claimed			whom Advance をRs
3. अधिकारी को प्रतिपूर्ति राशि (2 से 1 गुणा) / Amount reimbursable to the official (1 multiplied by 2)		रु Rs	
4. अग्रिम की राशि स्वीकार्य (3 का 90%) / Amount of advance admissible (90% of 3)			₹ Rs
भुगतान आदेश PAY ORDER			
भुगतान / Pay रु Rs.		(रुपए Rupees) कुल only
to श्री / सुश्री Mr. / Ms		को	
Ch. to:-			
Acctt. लेखापाल	AR(A/c) ए.आर. (लेखा अनुभाग)	DR(A/c) डी.आर. (लेखा अनुभाग)	Registrar रजिस्ट्रार

घोषणा DECLARATION

मैंयह प्रमाणित करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त विवरण यथार्थ और सही हैं।

मैंने अग्रिम यात्रा जिसके लिए अग्रिम लिया गया था, के विफलता के मामले में एलटीसी अग्रिम को तुरंत वापस करने का भी दायित्व लिया है।

I also undertake to refund the LTC advance in full immediately in case of failure to perform the purposed journey for which advance was taken.

मैं यह भी घोषणा करता हूं कि मैं सक्षम प्राधिकारी की पूर्व स्वीकृति प्राप्त किए बिना आवेदन में वर्णित जगह के अलावा अन्य स्थानों पर नहीं जाऊंगा।

I also declare that I will not visit other than the place mentioned in the application without obtaining prior approval of the competent authority.

अगर अग्रिम यात्रा की तारीख से 90 दिनों के भीतर रिटर्न यात्रा नहीं की जाती है, तो मैं अग्रिम का आधा हिस्सा वापस करने के लिए भी सहमत हं।

I also agree to refund one half of the advance if the return journey could not be performed within 90 days from the date of advance.

मैं इस बात से भी सहमत हूं कि किसी भी कारण से मेरे पास जो भी अतिरिक्त राशि बचती है, उसे मैं कार्यालय को वापस कर दंगा।

I also agree to credit forthwith to the office any excess amount of advanced left with me for any reason whatsoever.

में अपने / अपने परिवार के सदस्यों के लिए टिकट आदि की खरीद के साक्ष्य का उत्पादन करने के लिए भी सहमत हूं, जैसा भी मामला हो, आगे की यात्रा के लिए 10 दिनों के भीतर या यात्रा शुरू होने से पहले, जो भी पहले हो, तारीख से अग्रिम का आहरण। मुझे पता है कि उपरोक्त आवश्यकता का पालन करने में विफलता, मेरे वेतन के अगले आहरण से अग्रिम में एक मुश्त राशि की वसूली होगी, साथ में दंडात्मक ब्याज @ 2 वीएआई% सामान्य ब्याज से अधिक।

I also agree to produce evidence of purchase of tickets, etc., for myself/members of my family, as the case may be, for the forward journey within 10 days or before the commencement of the journey, whichever is earlier, from the date of drawing the advance. I am aware that failure to comply with the above requirement will entail recovery of the advance in one lump sum from the next drawl of my salary, together with the penal interest @ 2 Vi% over and above the normal interest.

मुझे पता है कि अगर मैं वापसी यात्रा की तारीख से एक महीने के भीतर एलटीसी बिल जमा नहीं करता / करती हूं, तो बकाया एलटीसी अग्रिम मेरे अगले वेतन से एक मुश्त एक साथ जुर्माने के रूप में वसूल किया जाता है।

I am aware that if I do not submit LTC bill within one month from the date of return journey the outstanding LTC advance is recoverable in one lump sum from my next salary together with the penal @ 2 Vi % over and above the normal interest.

मुझे यह भी पता है कि अगर यात्रा पूरी होने की तारीख से 3 महीने के भीतर मैं बिल जमा करने में विफल रहता / रहती हूं तो मेरा दावा जब्त कर लिया जाएगा।

I am also aware that my claim will be forfeited if I fail to submit the bills within 3 months from the date of completion of journey.

में यह भी समझता / समझती हूं कि यदि एलटीसी का स्वयं के लिए लाभ उठाया जाता है तो लागत प्रतिपूर्ति केवल तभी होती है जब यात्रा किसी भी तरह की छुट्टी का लाभ उठाने के बाद की जाती है और सप्ताह के अंत की छुट्टियों / आरएच के दौरान नहीं।

I also understand that if the LTC is availed for self the cost is reimbursable only when the journey is performed after availing any kind of leave and not during week-end holidays/RH alone.

विभागाध्यक्ष / केंद्र / अनुभागों के रिमार्क्स REMARKS OF THE HOD/CENTRES/SECTIONS

अग्रेषित आधिकारिक ने कॉलम 9 पर सीएल / ईएल लागू किया और उसी को मंजूरी दी गई है। Forwarded Official applied CL/EL as at Col.9 and the same has been sanctioned.

विभागाध्यक्ष / केंद्र / सदस्य Head of Dept./Centres/Units

सहायक। रजिस्ट्रार, स्था.- ।/॥ / Asstt. Registrar, E-I, E-II